

हाइडलबर्गसीमेंट इंडिया लिमिटेड

चौकसी तंत्र एवं व्हिसिल ब्लोअर नीति

1. प्रस्तावना:

हाइडलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड (द कंपनी) उचित एवं पारदर्शी ढंग से व्यवसायिकता, ईमानदारी, अखंडता एवं नैतिकता के उच्चतम मानकों को अपनाते हुए अपना व्यापार करती है। कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 177(9) प्रावधानित करती है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी अपने निदेशकों एवं कर्मचारियों को उनकी वास्तविक चिंताओं को सूचित करने हेतु सक्षम करते हुए, एक चौकसी तंत्र की स्थापना करेगी। सूचीबद्धता अनुबंध की कंडिका 49 जो कि हाल ही में संशोधित हो चुकी है, अन्य बातों के साथ एक "चौकसी तंत्र", जिसे कि "व्हिसिल ब्लोअर नीति" कहा गया है, की स्थापना आदेशित करती है जिसके द्वारा निदेशकगण एवं कर्मचारीगण अनैतिक व्यवहार, वास्तविक एवं संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की व्यवसाय आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में सूचित करे।

कंपनी ऐंसी संस्कृति का विकास करने के लिये प्रतिबद्ध है, जहाँ अनैतिक व्यवहार, धोखाधड़ी, हित संघर्ष एवं कंपनी की व्यवसाय की आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में वास्तविक चिंताओं एवं शिकायतों को उठाया जाना, कर्मचारियों के लिये सुरक्षित हो। इस नीति का उद्देश्य एक प्रभावी चौकसी तंत्र हेतु फ़ेमवर्क प्रदान करना एवं कर्मचारियों एवं निदेशकों को इस तरह की वास्तविक चिंताओं की सूचना करते समय संरक्षण प्रदान करना है। व्हिसिल ब्लोअर नीति में वास्तविक चिंताओं की सूचना के लिये प्रदान किया गया यह तंत्र हाइडलबर्ग सीमेंट के ग्रुप के द्वारा

घटना रिपोर्टिंग हेतु सभी कर्मचारियों को हाटलाईन सेवा तथा बेबसाईट माईसेफ वर्कप्लेस के माध्यम से, पूर्व से ही प्रदान सुविधा के अतिरिक्त है। कर्मचारीगण के पास यह विकल्प है कि वह उपर्युक्त कथित तंत्रों में से जो भी उपर्युक्त समझों का प्रयोग कर सकते हैं।

2. परिभाषायें:

इस नीति में प्रयुक्त किये गये कुछ कुंजी शब्दों की परिभाषायें नीचे दी गई हैं :-

अ. "व्यवसाय की आचार संहिता" का अभिप्राय है, हाइडलबर्ग सीमेन्ट इंडिया लिमिटेड की व्यवसाय की आचार संहिता।

ब. "निदेशक" का अभिप्राय है, कंपनी के निदेशक मण्डल का कोई सदस्य।

स. "अनुशासनिक कार्यवाही" का अभिप्राय है, कोई कार्यवाही जो जाँच प्रक्रिया के उपरांत या दौरान की जा सकती है एवं इसमें सम्मिलित किन्तु सीमित नहीं है एक चेतावनी, शास्ति आरोपण, अधिकारिक कर्तव्य से निलंबन एवं अन्य कोई कार्यवाही जो कि मामले की गंभीरता पर विचार करते हुये उचित समझी जावे।

द. "कर्मचारी" का अभिप्राय है, कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी।

इ. "नैतिकता सलाहकार" का अभिप्राय है, कि एक व्यक्ति जो आडिट समिति के द्वारा संरक्षित प्रकटीकरण को संभालने हेतु नाम निर्देशित किया गया हो।

फ. "जांचकर्ता" का अभिप्राय है, ऐसा व्यक्ति जो कि नैतिकता सलाहकार/अध्यक्ष आडिट समिति के द्वारा किसी संरक्षित

प्रकटीकरण में लगाये गये आरोप की जांच करने हेतु अधिकृत, नियुक्त, सलाह किया गया अथवा संपर्क किया गया हो।

ल. "संरक्षित प्रकटीकरण" का अभिप्राय है, शुद्ध अंतःकरण से किया गया कोई लिखित संचार जो कि किसी अनैतिक अथवा अनुचित गतिविधि की ओर संकेत करती हुई विश्वसनीय सूचना का खुलासा अथवा प्रदर्शन करता हो।

य. "विषय/कर्ता" का अभिप्राय है, वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध अथवा संदर्भ में एक संरक्षित प्रकटीकरण हो चुका है अथवा जांच के दौरान साक्ष्य एकत्रित कर लिया गया हो।

र. "व्हिसिल ब्लोअर" का अभिप्राय है, एक कर्मचारी अथवा एक निदेशक जो कि इस नीति के अंतर्गत एक संरक्षित प्रकटीकरण करता है।

3. व्हिसिल ब्लोअर की भूमिका:

अ. व्हिसिल ब्लोअर की जिम्मेदारी विश्वसनीय सूत्र के आधार पर सूचना करने वाले पक्षकार की तरह की है।

ब. व्हिसिल ब्लोअर्स न तो स्वमेव ही कोई कार्य करेंगे न ही जांच की गतिविधियों में उन्हें भाग लेने का कोई अधिकार होगा, जब तक कि उन्हें नैतिकता सलाहकार अथवा आडिट कमेटी के अध्यक्ष अथवा जांचकर्ताओं के द्वारा ऐसा निवेदन न किया जावे।

स. व्हिसिल ब्लोअर्स न तो किसी सुधारात्मक अथवा उपचारात्मक कार्यवाही का निर्धारण करेंगे न ही स्वयं की इच्छा से इन्हें लागू करेंगे।

4 नीति का विस्तार:

कंपनी के सभी कर्मचारीगण एवं निदेशकगण इस नीति के अंतर्गत संरक्षित प्रकटीकरण करने के लिए पात्र हैं । यह नीति अनाचार एवं घटनाक्रमों को, जो कि घटित हो चुके हैं अथवा संदिग्ध हैं, शामिल करती हैं जिनमें सम्मिलित हैं :-

अ . पद का दुरुपयोग

ब. असावधानी जो कि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को पर्याप्त एवं विशिष्ट खतरा की वजह बनती है।

स. कंपनी के डेटा/अभिलेखों में हेर - फेर ।

द. वित्तीय अनियमिततायें ,इसमें सम्मिलित है धोखाधड़ी एवं संदिग्ध धोखाधड़ी ।

इ. आपराधिक कृत्य ।

फ. गोपनीय/औचित्यपूर्ण सूचना की चोरी ।

ल. कानून/विनियमों का जानबूझकर उल्लंघन ।

ह. कंपनी की निधियो/संपत्तियों का अपव्यय/दुर्विनियोजन ।

य. कंपनी की संपत्तियों की इरादतन उपेक्षा अथवा उसकी बर्बादी करना ।

र. व्यवसाय की आचार संहिता अथवा नियमों का उल्लंघन करना ।

ल. मूल्य से सम्बंधित अप्रकाशित संवेदनशील सूचना का रिसाव ।

व. कोई अन्य कृत्य जिसमें अनैतिक व्यवहार सम्मिलित हो ।

5. प्रक्रिया:

अ. समस्त संरक्षित प्रकटीकरण कंपनी के नैतिकता सलाहकार को जांच हेतु संबोधित किये जाने चाहिये । असाधारण मामलों में, जैसे कि उपाध्यक्ष अथवा नैतिकता सलाहकार से उच्च स्तर के कर्मचारीगणों के विरुद्ध मामले, संरक्षित प्रकटीकरण आडिट कमेटी के अध्यक्ष को संबोधित किया जाना चाहिए । संरक्षित प्रकटीकरण की प्राप्ति के तुरंत पश्चात ही नैतिकता सलाहकार इसके बारे में आडिट कमेटी के अध्यक्ष को संसूचित करेगा । आडिट कमेटी का अध्यक्ष नैतिकता सलाहकार एव जांच समिति के सदस्यों को जांच हेतु ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जो कि वह उपयुक्त समझता हो ।

ब. कंपनी की आडिट समिति के अध्यक्ष के संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं :-

श्री रामकृष्णन राममूर्ति

अध्यक्ष - निदेशक मंडल की ऑडिट समिति

जे 903-904, मंत्री ब्रन्कुइल,

ग्राम-गुबालाला, सुब्रमण्यमपुरा रोड,

ऑफिस- कनकपुरा रोड, बेंगलोर -560094

ईमेल - ramaddster@gmail.com

स. नैतिकता सलाहकार के संपर्क विवरण निम्नानुसार है :-

श्री शशांक शेखर (जनरल मैनेजर— लीगल)

नैतिकता सलाहकार

हाइडलबर्ग सीमेन्ट इंडिया लिमिटेड

9th फ्लोर, इन्फिनीटि टावर 'सी'

फेस 2nd गुड़गांव (हरियाणा)122002

Email id: shashank.shekhar@heidelbergcement.in

द. नैतिकता सलाहकार के अन्यथा कंपनी का कोई कार्यकारी अधिकारी यदि कोई संरक्षित प्रकटीकरण प्राप्त करता है तो यह तुरंत नैतिकता सलाहकार को अग्रेषित किया जाना चाहिये । प्रक्रिया के दौरान ऐसा कार्यकारी अधिकारी संरक्षित प्रकटीकरण एवं व्हिसिल ब्लोअर की पहचान की गोपनीयता बनाये रखना अवश्य ही सुनिश्चित करेगा ।

इ. संरक्षित प्रकटीकरण लिखित रूप में सूचित होना चाहिए ताकि स्पष्ट रूप से उठाये गये मुद्दे को समझना सुनिश्चित हो सके एवं या तो वह टंकित होना चाहिए या पढे जाने योग्य हस्तलिपि में अंग्रेजी, हिन्दी अथवा व्हिसिल ब्लोअर के रोजगार के स्थान की क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए ।

फ. संरक्षित प्रकटीकरण यदि आडिट समिति के अध्यक्ष द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वह मुख पत्र को अलग कर केवल संरक्षित प्रकटीकरण को नैतिकता सलाहकार को जांच हेतु अग्रेषित करेगा ।

र. संरक्षित खुलासे को तथ्यात्मक होना चाहिए एवं सांकेतिक अथवा निष्कर्ष की प्रकृति का नहीं होना चाहिए और जहां तक संभव हो सके उसमें ऐसी विशिष्ट सूचनाएं होनी चाहिए जो कि चिंता की प्रकृति एवं विस्तार का एवं प्रारंभिक खोज प्रक्रिया के उचित आंकलन को सुविधाजनक करें ।

व. व्हिसिल ब्लोअर को अवश्य ही अपनी पहचान का खुलासा संरक्षित प्रकटीकरण को अग्रेषित करने वाले मुख पत्र में करना चाहिए । गुमनाम रूप से व्यक्त की गई चिंताओं की जांच नहीं की जावेगी क्योंकि व्हिसिल ब्लोअर का साक्षात्कार करना संभव नहीं होगा ।

6. जाँच:

अ. समस्त संरक्षित प्रकटीकरण नैतिकता सलाहकार के द्वारा जांच किये जायेंगे । नैतिकता सलाहकार जांच के उद्देश्य हेतु कंपनी के किसी भी अधिकारी को जांच में शामिल कर सकेगा ।

ब. नैतिकता सलाहकार अथवा आडिट समिति के अध्यक्ष के द्वारा जांच किये जाने का निर्णय किया जाना स्वमेव ही एक आरोप नहीं है एवं तटस्थ रूप से तथ्यों की खोज की प्रक्रिया के रूप में देखा जायेगा ।

स. विषय/कर्ता की पहचान गोपनीय रखी जायेगी जहां तक कि कानून और जांच की वैध जरूरतों को देखते हुए ऐसा करना संभव होगा ।

द. औपचारिक जांच की शुरुआत में ही सामान्य रूप से विषय/कर्ता को आरोपों के बारे में संसूचित कर दिया जायेगा एवं जांच के दौरान उसे अवसर दिया जायेगा कि वह अपनी निविष्टियां प्रदान कर सके ।

इ. विषय/कर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह जांच प्रक्रिया के दौरान सहयोग करे जहां तक कि ऐसा सहयोग करना लागू कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध आत्मदोष संरक्षण से समर्थित न हो ।

फ. विषय/कर्ता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह जांच में हस्तक्षेप न करे । साक्ष्य अवरूद्ध, नष्ट अथवा छेड़छाड़ नहीं किये जायेंगे एवं विषय/कर्ता द्वारा गवाहों को प्रभावित, प्रशिक्षित, भयभीत नहीं किया जायेगा । यदि विषय/कर्ता ऐंसी किसी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो वह अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होगा। किसी भी परिस्थिति मे कर्ता जांचकर्ताओं को व्हिसिल ब्लोअर की पहचान का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा ।

ल. जब तक कि ऐसा न करने हेतु बाध्यकारी कारण न हो, विषय/कर्ता को अवसर दिया जायेगा कि वह जाँच प्रतिवेदन में समाहित निष्कर्षों का जबाब दे सके। विषय/कर्ता के विरुद्ध अनाचार का कोई भी आरोप तब तक चलनसार स्वीकार्य नहीं होगा, जब तक कि आरोप के समर्थन में उत्तम साक्ष्य उपलब्ध न हो ।

श. विषय/कर्ता को जाँच की निष्कर्ष की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यदि आरोप निरंतर नहीं रहे है तो विषय/कर्ता से इस बावत् सलाह ली जानी चाहिये कि क्या जाँच परिणामों का सार्वजनिक प्रकटीकरण कर्ता एवं कंपनी दोनों के सर्वोत्तम हित में होगा ?

ष. जाँच शीघ्रता से पूरी की जानी चाहिये, और किसी भी प्रकरण में संरक्षित प्रकटीकरण की प्राप्ति के 45 दिवस में पूरी होनी चाहिये, जब तक की आडिट समिति के अध्यक्ष द्वारा इसके पश्चात और समय अपवादस्वरूप प्रकरणों में न दे दिया जावे ।

7 . संरक्षण:

अ. कंपनी एक नीति के रूप में व्हिसिल ब्लोअर के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव , उत्पीडन, जुल्म अथवा अन्य किसी भी प्रकार की अनुचित श्रम रीति अपनाये जाने की निंदा करती है । व्हिसिल ब्लोअर के विरुद्ध उसके द्वारा इस नीति के अंतर्गत संरक्षित प्रकटीकरण की सूचना करने के आधार पर कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं होगा । व्हिसिल ब्लोअर को किसी भी अनुचित रीति के विरुद्ध संपूर्ण संरक्षण दिया जायेगा । कंपनी इस बारे में आवश्यक कदम उठायेगी कि व्हिसिल ब्लोअर को कम से कम परेशानियां हो जो कि व्हिसिल ब्लोअर को संरक्षित प्रकटीकरण सूचित करने के परिणामस्वरूप अनुभव हो सकती हैं । यदि व्हिसिल ब्लोअर आपराधिक या अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य देने के लिए आवश्यक है तो कंपनी इसके बारे में प्रबंध करेगी कि व्हिसिल ब्लोअर प्रकिया के बारे में सलाह प्राप्त कर लें ।

ब. नैतिकता सलाहकार का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि व्हिसिल ब्लोअर, किसी प्रतिशोध, खतरे अथवा सेवा समाप्ति/निलंबन की धमकी, अनुशासनात्मक कार्यवाही, स्थानान्तरण, पद अवनति, पदोन्नति से इनकार एवं इसी प्रकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अधिकारों का प्रयोग, जो कि व्हिसिल ब्लोअर के अपनी डियुटी/कार्य निरंतर जारी रखने में बाधा डालता हो जिसमें कि पुनः संरक्षित प्रकटीकरण सूचित करना भी सम्मिलित है, से सुरक्षित है ।

स. यदि किसी प्रकरण में व्हिसिल ब्लोअर यह महसूस करता है कि वह संरक्षित खुलासे की सूचना के कारण किसी प्रकरण में पीड़ित हो चुका है, तो वह आडिट समिति के अध्यक्ष को शिकायत प्रस्तुत

कर सकता है जिसमें कि विशिष्ट रूप से पीड़ा की प्रकृति का उल्लेख हो जो कि उसने सहन की है ।

द. व्हिसिल ब्लोअर की पहचान जहां तक संभव हो एवं विधि के द्वारा अनुमत हो, गोपनीय रखी जायेगी । व्हिसिल ब्लोअर को आगाह किया जाता है कि किन्हीं कारणों से, जो कि नैतिकता सलाहकार के नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, उनकी पहचान प्रकट हो सकती है। (उदाहरण :जांचकर्ताओं द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान)

ड. कोई कर्मचारी या निदेशक जो कि जांच प्रक्रिया में सहायता कर रहे उसी प्रकार से संरक्षित होंगे जिस प्रकार कि व्हिसिल ब्लोअर संरक्षित होगा ।

8.निरर्हतायें / अयोग्यताएं :

अ. यद्यपि यह सुनिश्चित होगा कि वास्तविक व्हिसिल ब्लोअरों को किसी प्रकार के अनुचित व्यवहार से संपूर्ण संरक्षण दिया जावे, किसी भी प्रकार से ऐसे संरक्षण का दुरुपयोग अनुशासनात्मक कार्यवाही को बाध्य करेगा ।

ब. इस नीति के अंतर्गत संरक्षण का आशय यह नहीं होगा कि किसी ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही से संरक्षण दिया जायेगा जो कि व्हिसिल ब्लोअर के द्वारा झूठे एवं फर्जी आरोपों के लगाये जाने से उत्पन्न हो एवं व्हिसिल ब्लोअर यह जानता हो कि वह झूठी एवं फर्जी है अथवा यह दुर्भावना पूर्वक आशय से किया गया हो ।

स. एक व्हिसिल ब्लोअर जो कि तीन या अधिक संरक्षित प्रकटीकरण करता है, जो आगे चलकर दुर्भावनापूर्ण, तुच्छ निराधार, शुद्ध अंतःकरण से नहीं सूचित पाये जाते हैं, इस नीति के अंतर्गत

संरक्षित प्रकटीकरण करने के लिये अयोग्य होगा। ऐसे कतिपय व्हिसिल ब्लोअर के संदर्भ में कंपनी/आडिट समिति उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखेगी ।

द. यह नीति किसी भी ऐसे कर्मचारी के द्वारा अपने बचाव के लिये प्रयोग नहीं की जा सकेगी, जिसके विरुद्ध एक प्रतिकूल कार्मिक कार्यवाही वैद्य कारणों से की गई है। किसी ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध अनशासनात्मक कार्यवाही की जाना इस नीति का उल्लंघन नहीं होगा जिसका आचरण एवं प्रदर्शन ऐसी कार्यवाही करना बाध्य करता हों ।

9. जाँचकर्ता:

अ. जाँचकर्ताओं द्वारा तथ्यों की खोज एवं विश्लेषण करने के लिये एक प्रक्रिया को आचरण में लाया जाना वांछित होगा । जांचकर्ता नैतिकता सलाहकार/आडिट कमेटी अध्यक्ष के द्वारा प्राधिकार एवं पहुँच का अधिकार प्राप्त करेंगे जबकि वे जांच के अनुक्रम एवं क्षेत्र के भीतर कार्य करते हैं ।

ब. तकनीकी एवं अन्य साधन तैयार करे जा सकें जैसे की जाँच को बढ़ाने के लिये आवश्यक हों। सभी जांचकर्ता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होंगे । जांचकर्ताओं की ड्यूटी निष्पक्षता , सोदेश्यता , पूर्णता, नैतिक व्यवहार एवं विधि एवं पेशेवर मानकों के अनुपालन होगी ।

स. जांच का आरंभ मात्र एक प्रारंभिक समीक्षा के पश्चात ही किया जा सकेगा जो स्थापित करती हो कि :-

1. आरोपित कृत्य एक अनुचित अथवा अनैतिक गतिविधि या आचरण का गठन करता है ।

2. आरोप ऐंसी विशिष्ट सूचना द्वारा समर्थित है जो कि जांच किये जाने हेतु पर्याप्त है ।

10 . निर्णय:

यदि एक जांच नैतिकता सलाहकार/अध्यक्ष आडिट कमेटी को यह निष्कर्ष धारित करने हेतु अग्रसर करती है कि एक अनुचित अथवा अनैतिक कृत्य किया गया है, तो आडिट समिति कर्ता के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा प्रबंधन को करेगी ।

11. रिपोर्टिंग:

नैतिकता सलाहकार त्रैमासिक आधार पर पिछले त्रैमासिक में प्राप्त हुए कुल प्रकटीकरण संख्या, शिकायतों की प्रकृति एवं जांचों के निष्कर्ष के संबंध में एक त्रैमासिक रिपोर्ट आडिट समिति को प्रस्तुत करेगा । नैतिकता सलाहकार व्हिसिल ब्लोअर के द्वारा नियोजन संबंधित मामले में उठायी गयी नौकरी में उत्पीड़न की स्थिति की चिंताओं के बारे में भी आडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगा । यदि आडिट कमेटी के किसी भी सदस्य का प्रस्तुत प्रकरण में हित का टकराव होगा तो उन्हें स्वयं को हटा लेना चाहिये तथा समिति के अन्य सदस्य तात्कालिक प्रकरण को देखेंगे ।

12. दस्तावेजों का अवधारण:

जांच की प्रक्रिया के दौरान तैयार/इकटठे किये गये समस्त संरक्षित प्रकटीकरण एवं दस्तावेज तथा जांच के परिणाम कंपनी के द्वारा जांच के संपूर्ण होने की तिथि से 08 वर्ष तक के समय तक अवधारित रखे जायेंगे ।

13. संशोधन:

आडिट समिति किसी भी समय कोई भी कारण बताये बगैर इस नीति को संपूर्ण रूप में अथवा आंशिक रूप में संशोधित या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं।

